# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल कटनी

फोन नंबर – 07622–227417 (कार्यालय) 220700 (फैक्स), Email-dfotkatn@mp.gov.in

क्रमांक / मा0चि0 / 9511 कटनी, दिनांक /24/ 12 / 2024

प्रति,

**प्राधिकृत अधिकारी,**
**मे0 ई.एम.आई.एल. माईन्स**
**एण्ड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड**
**बंधा कोल ब्लॉक, सिंगरौली (म0प्र0)**

विषय :– मे0 ई.एम.आई.एल. माईन्स एण्ड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकवा 785.49 हे0 वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यपवर्तन के आनलाईन प्रस्ताव FP/MP/MIN/144129/2018 के संबंध में।

संदर्भ :– वन संरक्षक, मध्य वन वृत्त जबलपुर का आदेश क्रमांक / व्यय / मा0चि0 / 97 दिनांक 18.12.2024 एवं पत्र पृ. क्रमांक / मा0चि0 / 8534 दिनांक 18.12.2024.

उपरोक्त विषयान्तर्गत सिंगरौली जिले की तहसील सरई में रकवा 785.49 हे0 वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण FP/MP/MIN/144129/2018 में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र पृ. क्र. / एफ–1 / 841 / 2023 / 10–11 / 5113 दिनांक 03.10.2024 के अनुसार प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 03.10.2024 के माध्यम से प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त व्यपवर्तित वन भूमि के बदलें में तैयार की गई 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक मध्य वन वृत्त जबलपुर द्वारा अपने आदेश क्रमांक / व्यय / मा0चि0 / 97 दिनांक 18.12.2024 से कुल राशि रू. 2,77,16,375 / – (दो करोड़ सहत्तर लाख सोलह हजार तीन सौ पच्हत्तर रूपयें) जारी की गई है।

अतः आप उपरोक्त प्रकरण में 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की **कुल राशि रू. 2,77,16,375 / – (दो करोड़ सहत्तर लाख सोलह हजार तीन सौ पच्हत्तर रूपयें)** **E-Portal (https://parivesh.nic.in)** के माध्यम से कैम्पा मद अंतर्गत तत्काल जमा कर जमा किये जाने की पुष्टि से इस कार्यालय को अवगत करावें। ताकि तदानुसार प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

वनमण्डलाधिकारी
**सामान्य वनमंडल कटनी**

क्रमांक / मा0चि0 / 9512 कटनी, दिनांक /24/ 12 / 2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक, मध्य वन वृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

**वनमण्डलाधिकारी**
**सामान्य वनमंडल कटनी**

# कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शाजापुर (म.प्र.)

पता : टेलीफोन टॉवर के पास ए.बी. रोड़ शाजापुर (म.प्र.) पिन 465001

ई–मेल : dfotsjpur@mp.gov.in,

**क्रमांक / तक / 2025 /** 469      **शाजापुर, दिनांक** 31.1.25

**प्रति,**

मेसर्स ईएमआईएल माईन्स एण्ड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड
वनजीवन विहार, विंध्यानगर, बाइडन
सिंगरौली (म.प्र.)

विषयः—वनमण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न/पूर्व सरई RF- 389, 390, 290, 291, 292, 293, 294, 391, 392, 296, 319 & PF- 316, 317 के रकबा 804.367 हे. वनभूमि तथा विभिन्न खसरों के रकबा 3.55 हे. राजस्व वनभूमि कुल 807.917 हे. वनभूमि में बन्धा कोल ब्लॉक अंतर्गत ओपन कास्ट खनन हेतु उपयोग के व्यपवर्तन का मेसर्स ईएमआईएल माईन्स एण्ड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड का ऑनलाईन प्रस्ताव – FP/MP/MIN/144129/2021 ।

संदर्भः— 1.भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 01.10.2024
2.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र.भोपाल का पत्र कमांक/एफ–1/841/2023/10–11/5112 दिनांक 03.10.2024

— 0 —

विषयांकित संदर्भ में लेख हैं कि वनमण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न/पूर्व सरई आरएफ–389, 390, 290, 291, 292, 293, 294, 391, 392, 296, 319 एण्ड पीएफ 316, 317 के रकबा 804.367 हे. वनभूमि तथा विभिन्न खसरों के रकबा 3.55 हे. राजस्व वनभूमि कुल 807.917 हे. वनभूमि में बन्धा कोल ब्लॉक अंतर्गत ओपन कास्ट खनन हेतु उपयोग के व्यपवर्तन का मेसर्स ईएमआईएल माईन्स एण्ड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड का ऑनलाईन प्रस्ताव – FP/MP/MIN/144129/2021 में प्रभावित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए कलेक्टर जिला आगर–मालवा द्वारा ग्राम कण्डारी, ग्राम खेड़ा चौहान, ग्राम बीजानगरी तहसील बड़ौद एवं ग्राम घुरासिया तहसील आगर की रकबा 165.00 हेक्टेयर भूमि की तैयार की गई 11 वर्षीय क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजनाओं में निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन द्वारा आदेश कमांक/तकनीकी/2025/07 दिनांक 24.01.2025 से जारी की गई हैं :–

| क्र. | आदेश क्र. दिनांक | ग्राम का नाम | सर्वे नम्बर | कुल रकबा हे.में | आबंटित रकबा हे.में | योजना अनुसार रोपित पौधा संख्या | वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101/अ–20(3)/2023–24 दि. 04.11.2024 | ग्राम कण्डारी तहसील बड़ौद | 96 | 7.87 | 7.34 | 18440 | 13169588/– |
| | | | 98 | 14.08 | 11.10 | | |
| | | योग :– | | | 18.440 | | |
| 2. | 103/अ–20(3)/2023–24 दि. 04.11.2024 | ग्राम खेड़ा चौहान तहसील बड़ौद | 1356 | 5.65 | 0.25 | 69150 | 35592761/– |
| | | | 1369 | 27.01 | 27.01 | | |
| | | | 1066 | 29.91 | 25.08 | | |
| | | | 1380 | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | 1363 | 14.81 | 14.81 | | |
| | | योग :– | | | 69.150 | | |
| 3. | 99/अ–20(3)/2023–24 दि. 18.10.2024 | ग्राम घुरासिया तहसील आगर | 194 | 40.08 | 23.00 | 23000 | 15785641/– |
| 4. | 100/अ–20(3)/2023–24 दि. 18.10.2024 | ग्राम बीजानगरी तहसील बड़ौद | 2 | 31.650 | 12.070 | 54410 | 31347019/– |
| | | | 66/1 | 4.460 | 2.480 | | |
| | | | 10/1 | 9.380 | 4.150 | | |
| | | | 10/2 | 9.720 | 9.720 | | |
| | | | 9 | 5.700 | 5.700 | | |
| | | | 5/1 | 14.50 | 10.980 | | |
| | | | 4/1 | 4.64 | 3.790 | | |
| | | | 3/1 | 11.04 | 5.520 | | |
| | | योग :– | | | 54.410 | | |
| | | महायोग :– | | | 165.00 | 165000 | 95895009/– |

निरन्तर.........2..

उपरोक्त स्वीकृत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की लागत राशि कुल रूपये 95895009/– (नौ करोड़ अट्ठावन लाख पिन्चानवे हजार नौ रू. मात्र) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में राशि जमा की जावें तथा प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 9589501/– (पिन्चानवे लाख नवासी हजार पॉच सौ एक रू0 मात्र) राज्य की राजस्व मद "0406 वानिकी और वन्य जीवन (01) वानिकी, (800) अन्य प्राप्तियां, (0229) विविध प्राप्तियां मद में एम.पी. ऑनलाईन ट्रेजरी अथवा डी.डी. के माध्यम से जमा की जाकर चालान अथवा डी.डी. इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा गैर वनभूमि का आधिपत्य विधिवत रूप से विभाग को हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(श्रीमती हेमलता शाह)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शाजापुर

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल, शाजापुर

पृ.क्रमांक/तक/2025/ 470 शाजापुर, दिनांक 31.1.25

**प्रतिलिपि :–**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक पदेन वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपवनमंडलाधिकारी, वनमंडल शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी आगर की ओर भेजकर लेख किया जाता हैं कि कलेक्टर जिला आगर–मालवा द्वारा आदेश दिनांक 18.10.2024 से हस्तांतरित ग्राम घुरासिया तहसील आगर व ग्राम बीजानगरी तहसील बड़ौद एवं आदेश दिनांक 04.11.2024 से हस्तांतरित ग्राम कण्डारी व खेड़ा चौहान तहसील बड़ौद की कुल 165.00 हे. गैर वनभूमि का नियमानुसार सीमांकन उपरांत कब्जा प्राप्त कर मय KML के एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–29 के अधिसूचना प्रस्ताव तैयार करने हेतु चेकलिस्ट अनुसार अभिलेख संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम सहित प्राप्त कर शीघ्र इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शाजापुर

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल, शाजापुर

# कार्यालय सामान्य, वनमण्डल छतरपुर (म.प्र.)

जवाहर रोड छतरपुर म.प्र. 471001 ☎ 07682.245316 (O), 245316 (FAX)
E-mail :- dfotchtpur@mp.gov.in


क्रमांक / स्टेनो / तकनीकी / 2025 / 1056 छतरपुर, दिनांक 01-4-25

प्रति,

**वनमंडलाधिकारी**
**वनमंडल सिंगरौली (म0 प्र0)**

विषय :- वनमण्डल छतरपुर अंतर्गत ई.एम.आई.एल. माइन्स एण्ड गिनरल्स रिसोर्सेस लि0 (आदित्य बिरल ग्रुप) बन्धा कोल ब्लॉक सिंगरौली में प्रभावित 807.917 हेक्टे. वनभूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण परियोजना हेतु राशि जमा कराने बावत्।

संदर्भ :- **वन संरक्षक छतरपुर, वृत्त छतरपुर का पत्र क्र./तकनीकी/व्यय/2025/96 छतरपुर, दिनांक 31.03.2025, पत्र क्र. 97 दिनांक 31.03.2025, पत्र क्र. 98 दिनांक 31.03.2025, पत्र क्र. 99 दिनांक 31.03.2025, पत्र क्र. 100 दिनांक 31.03.2025**

----00----

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रों के माध्यम से वन संरक्षक, छतरपुर, वृत्त छतरपुर के द्वारा वनमण्डल छतरपुर अंतर्गत ई.एम.आई.एल. माइन्स एण्ड गिनरल्स रिसोर्सेस लि0 (आदित्य बिरला ग्रुप) बन्धा कोल ब्लॉक सिंगरौली में प्रभावित 807.917 हेक्टे. वनभूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण परियोजना अंतर्गत निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है, जिसके अनुसार निम्नानुसार ई-पोर्टल के माध्यम (कैम्पा) में जमा करावें :-

| जिला/ वनमण्डल | ग्राम/परिक्षेत्र | खसरा क्र. /कक्ष क्र. | रोपण हेतु प्रस्तावित रकवा(हे. में.) | राषि | मद |
|---|---|---|---|---|---|
| छतरपुर/ छतरपुर | कसेरा/बकस्वाहा | 13/1/1 एवं 26/1/1 | 46.00 | 40843047.00 | ई-पोर्टल के माध्यम कैम्पा मद |
| छतरपुर/ छतरपुर | केसरा/बकस्वाहा | 364/1/1 | 13.00 | 14166429.00 | ई-पोर्टल के माध्यम कैम्पा मद |
| छतरपुर/ छतरपुर | बकस्वाहा | पी-215 एवं पी-213 | 122.00 | 39991433.00 | ई-पोर्टल के माध्यम कैम्पा मद |
| छतरपुर/ छतरपुर | बकस्वाहा | पी-249 | 90.00 | 29358622.00 | ई-पोर्टल के माध्यम कैम्पा मद |
| छतरपुर/ छतरपुर | बकस्वाहा | पी-263 | 110.00 | 36254876.00 | ई-पोर्टल के माध्यम कैम्पा मद |
| योग | | | **381** | **160614407.00** | |

इस आशय का बचन पत्र भी प्रस्तुत करें कि भविष्य में यदि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अतिरिक्ति राशि की मांग की जाती है तो यूजर एजेन्सी जमा कराने हेतु बचनबद्ध रहेगी। हस्तांतरित राशियों के चालान की प्रति एवं बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म.प्र. कोषालय में ऑन लाईन पृथक से जमा कराई जावेगी। इस हेतु आवेदक विभाग बचन पत्र प्रस्तुत करे कि यूजर एजेन्सी पर्यवेक्षण शुल्क की राशि जमा

... हेतु वचनबद्ध रहेगी। क्षतिपूर्ति [illegible] ... प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रुपये 16061441/— वनमण्डलाधिकारी छतरपुर के खाते में [illegible] से [illegible] करवायें।

(सर्वेश सोनवानी)
वनमंडलाधिकारी
सा. वनमण्डल छतरपुर (म.प्र.)

क्रमांक / स्टेनो / तकनीकी / 2025 / 1057 छतरपुर, दिनांक 01-4-25

प्रतिलिपि :—
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक, छतरपुर, वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
3. प्राधिकृत अधिकारी, ई.एम.आई.एल. माईन्स एण्डमिनरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड इंडस्ट्रीज हॉऊस, 18वीं मंजिल 10, कैमेक स्ट्रीट कोलकाता(पि.नं. 700017)

वनमंडलाधिकारी
सा. वनमण्डल छतरपुर (म.प्र.)

# कार्यालय वन मण्डल अधिकारी उत्तर सागर वनमंडल, जिला सागर (म.प्र.)

E-mail :- dfotnsagar@mp.gov.in; Phone & Fax No. :- 07582-236337

क्रमांक/मा.चि./2024/1085
सागर, दिनांक – 10/03/2025

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी,
ई.एम. आई.एल. माईन्स एण्ड
मिनरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड
इंडस्ट्रीज हॉऊस, 18 वीं मंजिल 10 कैमेक स्ट्रीट कोलकत्ता (Pin No. 700017)

विषय :– वनमण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र वैढ़न/पूर्व सरई आर.एफ. 389, 390, 290, 291, 292, 293, 294, 391, 392, 296, 319 एवं पीएफ 316, 317 का रकवा 804.367 हेक्टेयर वनभूमि तथा विभिन्न खसरों के रकवा 3.55 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि कुल रकवा 807.917 हेक्टेयर वनभूमि में बन्धा कोल ब्लॉक अन्तर्गत ओपन कास्ट खनन हेतु उपयोग के व्यपवर्तन का मेसर्स ई.एम. आई.एल.माईन्स एण्ड मिनरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड का ऑनलाइन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/144129/2021

संदर्भ :–1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 01.10.2024

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्र. एफ–1/841/2023 /10–11/2023/5112 दिनांक 03.10.2024

3. आपका पत्र क्रमांक/ई.एम.आई.एल./बन्धा/73 दिनांक 07.03.2025.

4. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./5060 दिनांक 22.10.2024.

—000—

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के अंतर्गत कार्यवाही बावत् इस कार्यालय के संदर्भित पत्र से आपको लेख किया गया है, प्रकरण में आपके पत्र दिनांक 07.03.2025 के अनुक्रम में क्षतिपूर्ति वनीकरण के संबंध में चाहा गया संशोधित मांग पत्र निम्नानुसार है :–

| क्र. | वन परिक्षेत्र | ग्राम का नाम | खसरा नंबर | हस्तांतरित रकवा (हे. में) | हस्तांतरण आदेश क्रमांक व दिनांक | निर्धारित राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्तर सागर | बरखेड़ा खुमान | 667/3 | 52.78 | 0127/अ–20 (03) वर्ष 2024–25 दिनांक 24.12.2024. | 26354589.00 |
| 2 | उत्तर सागर | मकरोनिया मुहाल | 1/5 | 115.73 | 0121/अ–20 (03) वर्ष 2024–25 दिनांक 24.12.2024. | 52069531.00 |
| 3 | उत्तर सागर | सडेरी | 20/2 | 10.95 | 0128/अ–20 (03) वर्ष 2024–25 दिनांक 24.12.2024. | 8927544.00 |
| 4 | उत्तर सागर | सडेरी | 650/1 | 28.90 | 0128/अ–20 (03) वर्ष 2024–25 दिनांक 24.12.2024. | 15943720.00 |
| 5 | उत्तर सागर | जेरवारा | 364/2 | 70.00 | 0124/अ–20 (03) वर्ष 2024–25 दिनांक 24.12.2024. | 28925607.00 |
| 6 | उत्तर सागर | जेरवारा | 264/1 | 65.00 | 0124/अ–20 (03) वर्ष 2024–25 दिनांक 24.12.2024. | 33007054.00 |
| 7 | उत्तर सागर | ढाना नरयावली | 421/1/2 | 35.00 | 0122/अ–20 (03) वर्ष 2024–25 दिनांक 24.12.2024. | 17033658.00 |
| | | योग :– | | 378.36 | | 182261703.00 |

Scanned with OKEN Scanner

1. अधिरोपित शर्त कमांक– ii(a) अनुसार वन मंडल अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि रकवा 378.36 हेक्टेयर में वृक्षारोपण की कुल राशि 182261703/– (शब्दों में – अठारह करोड़ बाईस लाख इक्सठ हजार सात सौ तीन रूपये मात्र) पोर्टल के माध्यम से केम्पा मद में हस्तांतरित की जावे। हस्तांतरित राशियों के चालान की प्रति एवं बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति प्रस्तुत करें।

2. अधिरोपित शर्त कमांक ii(b) अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि रकवा 378.36 हेक्टेयर भूमि का स्थायी सीमांकन राजस्व विभाग से कराने के पश्चात् वन विभाग को आधिपत्य सौंपा जावे, सौंपी गयी गैर वनभूमि को वनभूमि घोषित कराने बावत् प्रचलित चेक लिस्ट अनुसार अभिलेखों की मूल प्रतियां एवं मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जावे।

(चन्द्रशेखर सिंह)
भा.व.से.
वनमंडल अधिकारी
उत्तर सागर वनमंडल

पृ.कमांक/मा.चि/2024/ सागर, दिनांक –

प्रतिलिपि :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल वन भवन तुलसीनगर भोपाल को इस कार्यालय के पत्र कमांक/5061 दिनांक 22.10.2024 के अनुकम में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक सागर वन वृत्त सागर को सूचनार्थ प्रेषित।

3. उप वनमंडल अधिकारी उत्तर सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4. वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर सागर को सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में प्रस्तावित गैर वनभूमियों के हस्तांतरण व स्थायी सीमांकन उपरान्त आवेदक संस्थान की उपस्थिति में राजस्व विभाग से मौका आधिपत्य प्राप्त किया जावें। आधिपत्य में प्राप्त की गई की सीमांकित भूमियों के प्रचलित मापदण्डो के अनुसार मौका पंचनामा की मूल प्रतियां, सीमांकित संपूर्ण क्षेत्र की जी.पी.एस. रीडिग एवं स्थल दर्शित मानचित्र की सत्यापित प्रति उप वनमंडल अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत की जावें।

वनमंडल अधिकारी
उत्तर सागर वनमंडल

Scanned with OKEN Scanner

# कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में
ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन–07805-233336 फैक्स–233335

सूचना का अधिकार

क्रं0 / तक0 / 6247 सिंगरौली, दिनांक. 08-10-2024

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी,
बंधा कोल ब्लॉक,
मेसर्स ई. एम. आई.एल. माईन्स
एण्ड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड सिंगरौली

विषयः– वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न / पूर्व सरई के वन कक्ष कमांक आर.एफ. 389, 390, 291, 292, 293, 391, 392, 296, 319, 320 एवं पी.एफ. 316, 317 के रकवा 781.94 हे0 वनभूमि एवं विभिन्न खसरों क रकवा 3.55 हे0 राजस्व वनभूमि (कुल रकवा 785.49 हे0 वनभूमि) के स्थान पर पुनरीक्षित रकवा 807.917 हे0 वनभूमि में बन्धा कोल ब्लॉक ओपन कास्ट कोयला उत्खनन के व्यपवर्तन का – मेसर्स ई. एम. आई.एल. माईन्स एण्ड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड का ऑनलाईन प्रस्ताव कमांक FP/MP/MIN/144129/2021

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र कमांक / 8-17/2023-FC/I/83491/2024 दिनांक 01.10.2024

–000–

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गयी है। जिसमें वन मण्डल सिंगरौली अंतर्गत वन परिक्षेत्र बैढ़न के कक्ष कमांक आर. 389, 390, वन परिक्षेत्र पूर्व सरई के कक्ष कमांक आर. 290, 291, 292, 293, 294, 296, 319, 320, 391, 320 एवं पी. 316, 317 में प्रभावित वनभूमि रकवा 804.367 हे0 एवं राजस्व वन भूमि रकवा 3.55 हे0 कुल रकवा 807.917 हे0 भूमि मेसर्स ई. एम. आई.एल. माईन्स एण्ड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड द्वारा आवंटित बन्धा कोल ब्लॉक ओपन कास्ट कोयला उत्खनन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाईन प्रस्तावित है।

2. प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति के अनुसार नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

| क0 | मद का नाम | रकवा (हे0 में) | कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि | कुल योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नेट प्रेजेन्ट वैल्यू | 804.367 | 98,82,37,253 /– | 98,82,37,253 /– |
| | | 3.55 | 34,00,119 /– | 34,00,119 /– |
| | | | **99,16,37,372 /–** | **99,16,37,372 /–** |

3. एन.पी.व्ही. रकवा 1397.54 हे0 की राशि रू. 99,16,37,372 /–(रू. निन्यानवे करोड़ सोलह लाख सैतीस हजार तीन सौ बहत्तर मात्र) जिसे कैम्पा मद में भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

4. प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

पृ0क्र0 / तक0 / 6248 सिंगरौली दिनांक. 08-10-2024

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक (भू–प्रबंध), मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

# कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में
ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन–07805-233336 फैक्स–233335

क्रं0/तक0/ 1792 सिंगरौली, दिनांक. 18-03-2025

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी,
बंधा कोल ब्लॉक,
मेसर्स ई. एम. आई.एल. माईन्स
एण्ड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड सिंगरौली

विषयः– वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न/पूर्व सरई के वन कक्ष कमांक आर.एफ. 389, 390, 291, 292, 293, 391, 392, 296, 319, 320 एवं पी.एफ. 316, 317 के रकवा 781.94 हे0 वनभूमि एवं विभिन्न खसरों क रकवा 3.55 हे0 राजस्व वनभूमि (कुल रकवा 785.49 हे0 वनभूमि) के स्थान पर पुनरीक्षित रकवा 807.917 हे0 वनभूमि में बन्धा कोल ब्लॉक ओपन कास्ट कोयला उत्खनन के व्यपवर्तन का – मेसर्स ई. एम. आई.एल. माईन्स एण्ड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड का ऑनलाईन प्रस्ताव कमांक FP/MP/MIN/144129/2021

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का प्राप्त आदेश कमांक/एफ–1/841/2023/10–11/889 दिनांक 12.03.2025

–000–

विषयांतर्गत के संबंध में वन मण्डल सिंगरौली अंतर्गत वन परिक्षेत्र बैढ़न के कक्ष कमांक आर. 389, 390, वन परिक्षेत्र पूर्व सरई के कक्ष कमांक आर. 290, 291, 292, 293, 294, 296, 319, 391, 320 एवं पी. 316, 317 में प्रभावित वनभूमि रकवा 804.367 हे0 एवं राजस्व वन भूमि रकवा 3.55 हे0 कुल रकवा 807.917 हे0 भूमि मेसर्स ई. एम. आई.एल. माईन्स एण्ड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड द्वारा आवंटित बन्धा कोल ब्लॉक ओपन कास्ट कोयला उत्खनन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाईन प्रस्तावित है।

सन्दर्भित पत्र से प्रस्तावित खदान से 10 कि.मी. की परिधि में पाये जाने वाले फ्लोरा–फौना के संरक्षण हेतु 10 वर्षीय वन्यप्राणी संरक्षण योजना में लागत राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

| क0 | मद का नाम | रकवा (हे0 में) | कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि | कुल योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वन्यप्राणी संरक्षण योजना | 807.917 | 9,20,70,000/– | 9,20,70,000/– |
| | | | **9,20,70,000/–** | **9,20,70,000/–** |

10 वर्षीय वन्यप्राणी संरक्षण योजना रकवा 807.917 हे0 की राशि रू. 9,20,70,000/–(रू. नौ करोड़ बीस लाख सत्तर हजार मात्र) जिसे कैम्पा मद में भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

अतः उक्त प्रस्तावित प्रकरण में अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करे। ताकिं वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

पृ0क्र0/तक0/ 1793 सिंगरौली दिनांक. 18-03-2025

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक (भू–प्रबंध), मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

# कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन–07805-233336 फैक्स–233335

क्र0 / तक0 / 2272 सिंगरौली, दिनांक. 28.03.2025

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी,
बंधा कोल ब्लॉक,
मेसर्स ई. एम. आई.एल. माईन्स
एण्ड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड सिंगरौली

विषयः– वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न / पूर्व सरई के वन कक्ष कमांक आर.एफ. 389, 390, 291, 292, 293, 391, 392, 296, 319, 320 एवं पी.एफ. 316, 317 के रकवा 781.94 हे0 वनभूमि एवं विभिन्न खसरों क रकवा 3.55 हे0 राजस्व वनभूमि (कुल रकवा 785.49 हे0 वनभूमि) के स्थान पर पुनरीक्षित रकवा 807.917 हे0 वनभूमि में बन्धा कोल ब्लॉक ओपन कास्ट कोयला उत्खनन के व्यपवर्तन का – मेसर्स ई. एम. आई.एल. माईन्स एण्ड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड का ऑनलाईन प्रस्ताव कमांक FP/MP/MIN/144129/2021

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का प्राप्त आदेश कमांक / एफ–1 / 841 / 2023 / 10–11 / दिनांक 28.03.2025

–000–

विषयांतर्गत के संबंध में वन मण्डल सिंगरौली अंतर्गत वन परिक्षेत्र बैढ़न के कक्ष कमांक आर. 389, 390, वन परिक्षेत्र पूर्व सरई के कक्ष कमांक आर. 290, 291, 292, 293, 294, 296, 319, 391, 320 एवं पी. 316, 317 में प्रभावित वनभूमि रकवा 804.367 हे0 एवं राजस्व वन भूमि रकवा 3.55 हे0 कुल रकवा 807.917 हे0 भूमि मेसर्स ई. एम. आई.एल. माईन्स एण्ड मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड द्वारा आवंटित बन्धा कोल ब्लॉक ओपन कास्ट कोयला उत्खनन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाईन प्रस्तावित है।

सन्दर्भित पत्र से प्रकरण में भारत सरकार की शर्त अनुसार केचमेंट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की तकनीकी स्वीकृति में लागत राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

| क0 | मद का नाम | रकवा (हे0 में) | कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि | कुल योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | केचमेंट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य | 785.49 | 5,99,70,000 / – | 5,99,70,000 / – |
| | योगः– | | **5,99,70,000 / –** | **5,99,70,000 / –** |

केचमेंट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्यरकवा 785.49 हे0 की राशि रू. 5,99,70,000 / –(रू. पाच करोड़ निन्यानवें लाख सत्तर हजार मात्र) जिसे कैम्पा मद में भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

पृ0क्र0 / तक0 / 2273 सिंगरौली दिनांक. 28.03.2025

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक (भू–प्रबंध), मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली